भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 986

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश में राजमार्ग

986 श्री मलूक नागर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में निर्मित नए राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजमार्गों की लंबाई और उस पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रस्तावित नए राजमार्गों की संख्या और उक्त संबंध में प्रस्तावित बजटीय आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) इस मंत्रालय को राज्यीय राजमार्गों सहित राज्यीय सड़कों की नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा/उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा संबंधी मानदंडों को पूरा करने, सड़क संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर राज्य राजमार्गों सहित कुछ राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा पर विचार करता है।

पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 923 किलोमीटर लंबाई में राज्य राजमार्ग और ग्रीनफील्ड संरेखण सहित लगभग 14 राज्यीय सड़कों को नए एनएच के रूप में अधिसूचित किया गया था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में नए अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 3,959 किलोमीटर लंबाई विकसित/निर्मित की गई और लगभग 83,755 करोड़ रुपये कुल व्यय हुआ।

(ग) नए अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और तदनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए कार्य पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात घनत्व और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान नए अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/निर्माण के लक्ष्यों और दिसंबर, 2023 तक की उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान नए अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों पर व्यय का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/एजेंसी-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-I

'उत्तर प्रदेश में राजमार्ग' के संबंध में श्री मलूक नागर द्वारा दिनांक 08.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 986 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2023-24 के दौरान नए अधिसूचित एनएच सहित एनएच के विकास/निर्माण के लक्ष्यों और दिसंबर, 2023 तक की उपलब्धियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण:

क्र. सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**लक्ष्य वित्त वर्ष-2023-24 (किमी में)**	**उपलब्धि (किमी में)**
1	आंध्र प्रदेश	728	375
2	अरुणाचल प्रदेश	351	192
3	असम	527	106
4	बिहार	697	198
5	छत्तीसगढ़	252	161
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0
8	गोवा	11	7
9	गुजरात	571	224
10	हरियाणा	314	144
11	हिमाचल प्रदेश	225	125
12	जम्मू और कश्मीर	269	129
13	झारखंड	258	117
14	कर्नाटक	823	372
15	केरल	259	44
16	मध्य प्रदेश	676	346
17	महाराष्ट्र	1866	854
18	मणिपुर	399	59
19	मेघालय	239	58
20	मिजोरम	298	96
21	नागालैंड	233	57
22	ओडिशा	377	129
23	पुडुचेरी	0	0
24	पंजाब	386	158
25	राजस्थान	749	550
26	सिक्किम	170	37
27	तमिलनाडु	728	476

28	तेलंगाना	496	289
29	त्रिपुरा	118	29
30	उत्तर प्रदेश	1120	541
31	उत्तराखंड	284	105
32	पश्चिम बंगाल	181	134
33	दिल्ली	35	20
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16	6
35	लद्दाख	157	76
कुल योग		**13,814**	**6,216**

अनुबंध-II

'उत्तर प्रदेश में राजमार्ग' के संबंध में श्री मलूक नागर द्वारा दिनांक 08.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 986 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान नए अधिसूचित एनएच सहित एनएच कार्यों पर व्यय का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/एजेंसी-वार विवरण:
एनएच के विकास के लिए व्यय विभिन्न एजेंसियों जैसे एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ, एनएचएलएमएल और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकारों के माध्यम से निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए, चालू वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान एनएच के विकास के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय/जारी की गई धनराशि का विवरण:-

			धनराशि करोड़ रुपये में
क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2023-24 (31.12.2023 तक)	
		आवंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	3,208	2,510
2	अरुणाचल प्रदेश	520	520
3	असम	350	266
4	बिहार	2,193	1,332
5	छत्तीसगढ़	1,018	938
6	गोवा	800	430
7	गुजरात	600	392
8	हरियाणा	300	172
9	हिमाचल प्रदेश	751	537
10	झारखंड	400	258
11	कर्नाटक	2,095	1,384
12	केरल	200	79
13	मध्य प्रदेश	1,070	748
14	महाराष्ट्र	4,875	3,811
15	मणिपुर	50	19
16	मेघालय	100	80
17	मिजोरम	45	37
18	नागालैंड	255	180
19	ओडिशा	1,149	675
20	पंजाब	730	189
21	राजस्थान	1,840	1,260
22	सिक्किम	201	73
23	तमिलनाडु	1,000	863
24	तेलंगाना	1,806	1,219
25	त्रिपुरा	56	44
26	उत्तर प्रदेश	5,179	4,038
27	उत्तराखंड	979	572

28	पश्चिम बंगाल	1,033	606
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
30	चंडीगढ़	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	30	2
32	दमन और दीव		
33	दिल्ली	83	76
34	जम्मू और कश्मीर	1,500	923
35	लद्दाख	100	17
36	पुडुचेरी	25	25

चालू वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान एनएच के विकास के लिए एजेंसियों (राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा)/योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि और किए गए व्यय/जारी किए गए धन का विवरण:-

क्र.सं.	**योजना/एजेंसी**	**2023-24 (31.12.2023 तक)**	
		आवंटन (करोड़ रुपये में)	**जारी की गई निधि/व्यय (करोड़ रुपये में)**
1	एनएचएआई निवेश	127,000	127,000
2	टोल विप्रेषित धन - एनएचएआई	20,807	20,807
3	एनएच (मूल) - एनएचएआई	16,750	16,750
4	एनएच का मुद्रीकरण - टीओटी - एनएचएआई	0	0
5	एनएच (मूल) - एनएचआईडीसीएल	10,100	10,100
6	अरुणाचल पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई)	4,610	2,651
7	विजयवाड़ा-रांची सड़क के विकास सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	285	166
8	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं - मुख्यालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल	2,010	2,010
9	भारतमाला - बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, एनएचएआई	10,700	10,700
10	एनएचएलएमएल (एमएमएलपीएस और पत्तन संपर्कता परियोजनाओं के लिए)	400	400

11	अन्य मंत्रालय (रेलवे / बंदरगाह, पोत-परिवहन और जलमार्ग)	33	33
12	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)	0	0
	अन्य संसाधन		
1	आईईबीआर/एनएचएआई द्वारा ऋण	0	0
2	एनएचएआई द्वारा परियोजना आधारित वित्तपोषण	7,000	3,000
3	एनएचएआई द्वारा इनविट	10,000	0

******